भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 890

बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया

890. श्री सुशील कुमार रिंकूः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश विशेषकर पंजाब राज्य में 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार/क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब में 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) देश विशेषकर पंजाब राज्य में 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं के अंतर्गत आवंटित/जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पंजाब सहित देश में 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत किए गए कार्यों और प्राप्त की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इससे देश भर में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए चल रही योजनाओं के अतिरिक्त क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (च): 'मेक इन इंडिया' एक पहल है, जिसकी शुरुआत निवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता करने, नवप्रयोग को प्रोत्साहित करने, सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करने तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से पूरे भारत में 25 सितंबर, 2014 को की गई थी। यह अनूठी 'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक है, जिसने दुनिया में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0, मुख्य रूप से 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसे केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और पंजाब सहित विभिन्न राज्य सरकारों में कार्यान्वित किया गया है। मेक इन इंडिया 2.0 के तहत आने वाले क्षेत्रों की सूची **अनुबंध** के रूप में संलग्न है। मेक इन इंडिया एक पहल है, यह निधि अथवा बजट वाली कोई स्कीम नहीं है।

वि भिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें, वस्तु और सेवा कर की शुरुआत, कॉर्पोरेट करों में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनस में सुधार, एफडीआई नीति में सुधार, अनुपालन बोझ में कमी हेतु उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों के जरिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) शामिल हैं।

आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा कोविड-19 के कारण उत्पन्न बाधाओं को विकास के अवसरों में बदलने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश अवसर, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के सॉफ्ट लॉन्च आदि

सहित अनेक उपाय किए हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में, एक व्यवस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (1.97 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ) कार्यान्वय के अधीन है। पीएलआई स्कीमों की घोषणा से, अगले पांच वर्षों तथा उसके बाद की अवधि के दौरान उत्पादन, कौशल, रोजगार, आर्थिक वृद्धि तथा निर्यात में व्यापक सुधार होने की संभावना है। अब तक, 14 क्षेत्रों में देशभर (पंजाब सहित) से 746 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

सरकार ने अधिक एफडीआई आकर्षित करने हेतु एक निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू की है, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। सरकार ने, सभी क्षेत्रों जैसे रक्षा, पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाएं, परिसंपत्ति पुनर्निर्धारण कंपनियां, प्रसारण, फार्मास्यूटिकल्स, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, नागर विमानन, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स गतिविधियां, कोयला खनन, संविदागत विनिर्माण, डिजिटल मिडिया, बीमा इंटरमीडियरीज, बीमा, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और टेलीकॉम इत्यादि में विभिन्न महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी एफडीआई सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है। इसके अलावा, सरकार नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और इसमें समय-समय पर महत्वपूर्ण बदलाव करती है ताकि इससे भारत को आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य स्थल बनाए रखा जा सके।

मेक इन इंडिया पहल के तहत, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और पंजाब राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी पहलें चलाई जा रही हैं। मंत्रालय उनके द्वारा देखे जा रहे क्षेत्रों के लिए कार्ययोजनाएं, कार्यक्रम, योजनाएं और नीतियां तैयार करते हैं, जबकि निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों की भी अपनी स्कीमें होती हैं। इसके अलावा, लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या, शुरू किए गए कार्यों/गतिविधियों आदि के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

******

अनुबंध

दिनांक 07.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 890 के भाग (क) से (च) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विनिर्माण क्षेत्र

(i) एरोस्पेस और रक्षा
(ii) ऑटोमोटिव और ऑटो पुर्जे
(iii) फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
(iv) जैव-प्रौद्योगिकी
(v) पूंजीगत सामान
(vi) वस्त्र और परिधान
(vii) रसायन और पेट्रो रसायन
(viii) इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम)
(ix) चमड़ा और फुटवियर
(x) खाद्य प्रसंस्करण
(xi) रत्न और आभूषण
(xii) शिपिंग
(xiii) रेलवे
(xiv) निर्माण
(xv) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र

(i) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
(ii) पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
(iii) मेडिकल वैल्यू यात्रा
(iv) परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
(v) लेखांकन और वित्त सेवाएं
(vi) ऑडियो विजुअल सेवाएं
(vii) विधायी सेवाएं
(viii) संचार सेवाएं
(ix) निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
(x) पर्यावरण संबंधी सेवाएं
(xi) वित्तीय सेवाएं
(xii) शिक्षा संबंधी सेवाएं

*****